न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस
अपील संख्या – 245/2017/223 आरटीए

1. राजेन्द्र पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी ढ़ीजकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. लिलाधर पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी ढ़ीजकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– अपीलांट

बनाम

1. सरोज पत्नि महावीरप्रसाद जाति जाट निवासी रामगडिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

––––रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 24.06.2017 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर मु.न. 233/2017 अनवानी सरोज बनाम राजेन्द्र आदि

उपस्थित :–

श्री हवासिंह अधिवक्ता अपीलांट

श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 1

श्री कुलदीप बैनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2

निर्णय दिनांक 30.10.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 183 व 188 आरटीए पेश किया कि रोही मौजा ढ़ीलकी जाटान नोहर के खाता सं. 20/18 के खसरा न. 39 की 2.9090 है0 व खसरा नं. 54 की 3.7950 है0 मुश्तरका खाता की भूमि मे से 122 हिस्सा भूमि रेस्पो0/वादी ने रूकमा, गुडडी, विमला पि0 कुम्भाराम से जरिये बैयनामा खरीदशुदा है एवं बैयनामा के आधार पर राजस्व रिकार्ड मे भूमि वादिया के नाम दर्ज हो चुकी है परन्तु प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने वादिया की खरीदशुदा भूमि कब्जा कर रखा है। अतः वादिया पुलिस मदद से कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का विधिवत अवसर नही देते हुए वाद वादी स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का विधिवत अवसर नही दिया और ना ही विधिवत रूप से कानूनी प्रक्रिया अपनाई है, कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक किसी भी प्रकार का निर्णय पारित करने से पूर्व प्रभावित पक्षकार को सुनवायी का विधिवत रूप से अवसर दिया जाना आवश्यक है ताकि अपना पक्ष रख सके। कानूनी स्थिति के मुताबिक जवाबदावा प्रस्तुत करने के लिए अदालत द्वारा 90 दिन का समय दिया जा सकता है उसके बाद ही जवाब बन्द किया जा सकता है। विवादित भूमि मे रूकमा, गुडी, विमला पि0 कुम्भाराम का कोई हक व हिस्सा नही है ना ही कभी विवादित भूमि पर कब्जा रहा। विवादित भूमि का राजस्व मण्डल अजमेर मे प्रकरण जैरकार है अब बिना प्रतिफल दिये वादिया रेस्पो0 सं. 1 यानि भूमाफिया लोगो ने अपने पक्ष मे बैयनामा करवाया है जिसके आधार पर वादिया किसी भी प्रकार की इस्तदुआ प्राप्त करने की अधिकारी नही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 सं. 1 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि रेस्पो0 सं. 1 द्वारा जरिये बैयनामा खरीदशुदा है जो राजस्व रिकार्ड मे रेस्पो0 सं. 1 के नाम से दर्ज है। जिसमे अपीलांट द्वारा नाजायज कब्जा किया हुआ है जबकि अपीलांट का रेस्पो0 की भूमि के संबंध मे कोई सरोकार नही है किन्तु अपीलांट ने जबरदस्ती वादभूमि पर कब्जा कर रखा है। रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर पुलिस मदद से कब्जा दिलवाये जाने बाबत अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर अपीलांट को वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार मानते हुए प्रतिवादीगण/अपीलांट को वादभूमि से बेदखल करने एवं कब्जा वादिया/रेस्पो0 को दिलवाये जाने बाबत आदेश पारित किये है जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

6. उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय मे उल्लेखित किया गया है कि रोही मौजा ढिलकी जाटान के खाता सं. 20/18 के खसरा न. 39 की 2.9090 है0 व खसरा नं. 54 की 3.7950 है0 मुश्तरका खाता की भूमि मे से 122 हिस्सा भूमि जिसकी वादिया खरीदशुदा खातेदार

काश्तकार है वादिया के द्वारा खरीद की गई 122 हिस्सा भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा वादिया को दिलवाया जावे। रेस्पो0 सं. 1/वादिया द्वारा मुश्तरका खाता की भूमि मे से 122 हिस्सा भूमि खरीद की गई है तथा रिकार्ड मे मुश्तरका खाता मे बतौर खरीददार दर्ज है तथा रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अपनी खरीदशुदा भूमि के संबंध मे मूल रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहते हुए अपने पक्ष मे डिक्री पारित करवाई है। जबकि रेस्पो0 सं. 1 बतौर खरीददार एक अजनबी क्रेता है तथा राजस्व रिकार्ड मे अन्य मूल रिकार्डेड खातेदार के साथ बतौर क्रेता खरीदशुदा भूमि रेस्पो0 के नाम से मुश्तरका खाता मे दर्ज है। जिसमे रेस्पो0 सं. 1 एक अजनबी क्रेता है तथा अजनबी क्रेता के रूप मे खरीदशुदा भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज के आधार मूल रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा के आदेश पारित नही करवा सकती है। इस प्रकार अपीलांट जो कि एक मूल खातेदार काश्तकार एवं प्रभावित पक्ष है, को बिना सुने पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि किया जाना न्यायसंगत नही है। ऐसी स्थिति मे अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 24.06.2017 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0
अपील संख्या – 245/2017/223 आरटीए

1. राजेन्द्र पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी ढ़ीजकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. लिलाधर पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी ढ़ीजकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– अपीलांट

बनाम

1. सरोज पत्नि महावीरप्रसाद जाति जाट निवासी रामगडिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

––––रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 24.06.2017 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर मु.न. 233/2017 अनवानी सरोज बनाम राजेन्द्र आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री हवासिंह अधिवक्ता अपीलांट, श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 1 एवं श्री कुलदीप बैनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 24.06.2017 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 30.10.2017 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ